भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3659

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

.....

पंजाब में बाढ़

3659. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पंजाब में बाढ़ का एक प्रमुख कारण रावी, व्यास, सतलुज, घग्गर और चक्की नदियों में अत्यधिक गाद जमा होना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार के खान और भू-विज्ञान विभाग की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, नदी तल पर उपलब्ध बजरी और रेत की मात्रा पंजाब की वार्षिक खपत से पंद्रह गुना अधिक है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने वर्ष 2020 में खनन ठेकेदारों को 274.22 लाख मीट्रिक टन रेत/बजरी वाले 78 स्थलों के आवंटन को मंजूरी दी थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(च) क्या सरकार का पंजाब में नदियों से व्यवस्थित रूप से गाद निकालने के लिए नीतियां बनाने का कोई प्रस्ताव है, जिनमें लगभग 7000 लाख मीट्रिक टन तलछट मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस वर्ष जुलाई के दूसरे सप्ताह के दौरान पंजाब में बाढ़ का मुख्य कारण वहां लगातार हुई वर्षा थी जिसके कारण सतलुज नदी और घग्गर नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया था। दिनांक 09.07.2023 और 10.07.2023 की विशिष्ट तिथियों पर, पंजाब राज्य में वास्तविक वर्षा आमतौर पर जुलाई के पूरे महीने के लिए दर्ज औसत वर्षा के 50% से अधिक थी। वर्षा की इस असामान्य मात्रा के परिणामस्वरूप निष्कासित जल की मात्रा सतलुज नदी में 3 लाख क्यूसेक और घग्गर नदी में लगभग 2 लाख क्यूसेक को पार कर गयी, जिसे उच्च बाढ़ स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) से (ङ): जी हां, जल संसाधन विभाग, पंजाब सरकार के ड्रेनेज विंग द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार रेत और बजरी की मात्रा राज्य की वार्षिक रेत और बजरी खपत का 15 गुनी है। पंजाब सरकार ने वर्ष 2020 में खनन ठेकेदारों को 274.22 एलएमटी (लाख मीट्रिक टन) रेत और बजरी के साथ 78 साइटों के आवंटन को मंजूरी दी थी और खनन ठेकेदारों के साथ 58 साइटों के समझौते निष्पादित किए गए थे और अनुबंधों के पूरा होने तक 167.57 एलएमटी मात्रा रेत और बजरी निकाली गई थी।

(च): जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समग्र रूप से तलछटों के प्रबंधन के लिए "तलछट प्रबंधन हेतु एक राष्ट्रीय ढांचा (अक्टूबर, 2022)" तैयार किया गया है। यह तलछट प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी मौजूदा दिशानिर्देशों/नीतियों के लिए रिफ्रेंस करता है। यह ढांचा पर्यावरण और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए रणनीतियों की योजना बनाने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संबंधित राज्य सरकारों के कार्य को सुकर बनाता है।

*****